उप–विकास आयुक्त मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.10.2018 को आहूत जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– यथापंजी ।

सर्वप्रथम उपविकास आयुक्त मुंगेर के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्तपश्चात् बैठक की कार्यवाही की विन्दुवार समीक्षा करते हुए प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी एवं बैठक में निम्नलिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन हेतु निदेशित किया गया :–

- समीक्षा के दौरान डा0 अरविन्द कुमार के द्वारा बताया गया कि फाईलेरिया कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दी गई राशि का व्यय विवरणी अप्राप्त रहने के साथ तत्संबंधित विवरणी राज्य मुख्यालय को नही भेजा जा सका है जिसके लिए राज्य मुख्यालय से बार बार पत्राचार किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर फाईलेरिया कार्यक्रम अन्तर्गत दी गई राशि का व्यय विवरणी जिला फाईलेरिया कार्यालय मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें अन्यथा संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर यथोचित कारवाई की जायेगी।

  (अनुपालन : जिला फाईलेरिया पदाधिकारी/सभी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

- समीक्षा के दौरान डा0 बहावउददीन के द्वारा बताया गया कि जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो से टी0बी0 के संदेहात्मक मरीज की जॉच रेफर नही किया जा रहा है। संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वाह्य विभाग में टी0बी0 के संदेहात्मक मरीजों की जॉच कर रेफर जिला टी0बी0 विभाग भेजना सुनिश्चित करेगें।

  (अनुपालन : जिला यक्ष्मा केन्द्र/सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

- समीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Patient Feed Back प्रपत्र भरा जा रहा है एवं पूर्व से मरीजों के प्रति व्यवहार में बदलाव आया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि भुगतान प्रकिया में सुधार की आवश्यकता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में भुगतान प्रकिया में तेजी लाये एवं ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक मरीजो से Patient Feed Back प्रपत्र भरवाये ताकि सही ऑकड़ा प्राप्त हो सकें।

  (अनुपालन : उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी /प्रबंधक केयर इंडिया, मुंगेर)

- समीक्षा के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के निर्देश के आलोक में प्रथम चरण में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैजलपुर (असरगंज) एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगटा (टेटिया बम्बर) में 24x7 Health Wellness Center चालू कर दिया गया है। द्वितीय चरण में दिनांक 08.11.2018 को बेलविहमा (तारापुर), दिनांक 08.11.2018 को बंगलवा (धरहरा) तथा दिनांक 10.11.2018 को बढौना (हवेली खड़गपुर) को चालू करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तारापुर,धरहरा एवं हवेली खड़गपुर को Health & Wellness Center में राज्य के निर्देश के आलोक में ए0एन0एम0 एवं चिकित्सक को रोस्टर के अनुसार डियूटी निर्धारित करने तथा

आवश्यक दवा की उपलब्धता हेतु निर्देश दिया गया साथ ही डियूटी चार्ट का डिस्प्ले करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी धरहरा/हवेली खड़गपुर/तारापुर)

❖ समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य के निर्देश के आलोक में ई–औषधि का ऑन लाईन Indent किया जाना है लेकिन केन्द्रीय दवा भंडारगृह के स्टोर कीपर के द्वारा ऑन लाईन नही किया जा रहा है जिसे संबंधित संस्थान को काफी परेशानी हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिविल सर्जन मुंगेर को निदेशित किया गया अविलम्ब केन्द्रीय दवा भंडारगृह के स्टोर कीपर से स्पष्टीकरण पूछा जाय कि राज्य के निर्देश के आलोक में ई–औषधि का Indent को ऑन लाईन क्यो नही कि जा रही है। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने के स्थिति में वेतन अवरूद्ध रखा जाय। साथ ही सभी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ई–औषधि का Indent ऑन लाईन के माध्यम से किया जाय। इसमे लापरवाही बरतने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर यथोचित कारवाई की जायेगी।

(अनुपालन : सिविल सर्जन मुंगेर/सभी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मुंगेर)

❖ जिले में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले ए0एन0ए0म/आशा/ऑगनवाड़ी वर्कर/महिला पर्यवेक्षिका को प्रत्येक माह एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्पेरक/5 या 5 से अधिक C-Section करने वाले चिकित्सक को प्रत्येक तीन माह में साथ ही जिला स्तरीय पदाधिकारी को छः माह में प्रशस्ति पत्र वितरण संबंधी निदेश के आलोक में समीक्षोपरांत सबसे अधिक C-Section करने वाले डा0 आलोक कुमार सर्जन सदर अस्पातल मुंगेर, डा0 विन्दु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पातल तारापुर, 102 ऐम्बूलेस हेतु ऋषिराज एवं श्री चंदन कुमार, ई0एम0टी0 संग्रामपुर, कुन्दर कुमार एवं सुभाष पटेल ई0एम0टी0 धरहरा, ऋषिराज, सेविका धरहरा, श्रीमति आशा देवी, (आशा), टेटिया बम्बर, किरण कुमारी ए0एन0एम0 संग्रामपुर एवं श्रीमति सरिता देवी, महिला पर्यवेक्षिका को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही पदाधिकारी/कर्मी का कार्य मूल्यांकन असंतोषप्रद पाये जाने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

(अनुपालन : सिविल सर्जन/उपाधीक्षक/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS)/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

❖ समीक्षा के दौरान प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह 09 तारीख को सभी स्वास्थ्य संस्थानो में ए0एन0सी0 की जॉच किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर प्रखंड, बरियारपुर एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा 1st ANC एवं IVth ANC में सबसे कम उपलब्धि किया गया है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त तिथि को वृहत पैमाने पर प्रचार प्रसार कर कैम्प लगवाया जाय। साथ ही सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त तिथि को होने वाले कार्य कम हेतु निम्न प्रकार से व्यवस्था करेगें।

1. पानी की व्यवस्था, 2. टेन्ट एवं कुर्सी की व्यवस्था, 3. सभी स्वास्थ्य संस्थान में उक्त तिथि को होने वाले कार्यक्रम से संबंधित प्लैक्स लगवाना, 4. चिकित्सक एवं पारामेडिकल की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो।

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु JBSY Fund Or Administrative fund से व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

(अनुपालन : उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुंगेर)

❖ समीक्षा के दौरान पाया गया मुंगेर जिला अन्तर्गत High Risk Pregnancy में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बयिारपुर एवं सदर प्रखंड की उपलब्धि शून्य किया गया है। नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि High Risk Pregnancy के डाटा में सुधार कर ली जाय अन्यथा विधिसम्मत् कार्यवाही की जायेगी। साथ ही समीक्षोपरांत पाया गया कि किसी भी स्वास्थ्य संस्थान के प्रसव कक्ष में दूरभाष की उपलब्धता नही है जिससे High Risk Pregnancy से संबंधित कार्य बाधित होता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अविलम्ब प्रसव कक्ष में दूरभाष लगाना सुनिश्चित करेगें।

(अनुपालन : सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

❖ समीक्षा के दौरान पाया गया मुंगेर जिला अन्तर्गत चिकित्सक एवं पारामेडिकल स्टाफ अपने कार्य पर समयानुसार उपस्थित नही हो रहा है जिसे मरीजो को प्रदत्त सेवा मुहैया नही कराया जा रहा है। सभी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि तीन दिनों के अन्दर वायोमेट्रिक मशीन का Instrallation कराते हुए कार्यरत किया जाय। एवं निदेशित किया गया कि सी0सी0टी0भी0कैमरा चिकित्सक ओ0पी0डी0, आपातकालीन कक्ष, स्टाफ डियूटी कक्ष,प्रशिक्षण कक्ष में एक सप्ताह के अन्दर लगवाना सुनिश्चित की जाय ताकि ऑन लाईन से उक्त कार्य का समीक्षा की जा सकें।

(अनुपालन : सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

❖ समीक्षा के दौरान पाया गया कि मुंगेर जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थिति अच्छी नही है एवं ए0एन0एम0 डियूटी पर उपस्थिति नही हो रही है जिसे क्षेत्र का कार्य नही हो पा रहा है। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखंड लेखापाल/प्रखंड अनु0 एवं मूल्यांकन सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को निदेशित किया गया कि सप्ताह में एक या दो स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निश्चित रूप से भ्रमण की जाय एवं समस्या की समीक्षा कर उसे निष्पादन करेगें।

(अनुपालन : सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखंड लेखापाल/प्रखंड अनु0 एवं मूल्यांकन सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)

❖ समीक्षा के दौरान पाया गया पूर्व की बैठक में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक संग्रामपुर का वेतन अवरूद्ध किया गया था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संग्रामपुर मुंगेर का निदेशित किया गया कि प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक संग्रामपुर का वेतन भुगतान कर दिया जाय।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखंड लेखापाल/संग्रामपुर)

❖ समीक्षा के दौरान पाया गया कि आयुष्मान भारत का सदर अस्पताल मुंगेर को छोड़कर किसी संस्थान के द्वारा कार्य नही किया जा रहा है। उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अविलम्ब प्रशिक्षण प्राप्त डाटा ऑपरेटर के माध्यम् से उक्त कार्य संपादन सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन : सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

2.11.18

उप–विकास आयुक्त
मुंगेर।

31.10.18

295

ज्ञापांक 1320/स्वा0,दिनांक 03/11/18/

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, मुंगेर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, मुंगेर/ उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/ सभी कार्यक्रम पदाधिकारी(स्वास्थ्य)/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/डा0 नीलू डी0आर0यू0 केयर इंडिया,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/18

2.11.18

उप–विकास आयुक्त
मुंगेर।

ज्ञापांक 1320 मुंगेर,दिनांक 03/11/2018/

प्रतिलिपि : जिला सूचना पदाधिकारी मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

2.11.18

उप–विकास आयुक्त
मुंगेर।

31.10.18